02/5/18

आज पत्रावली पेश। वकील पार्टी श्री अर्द। वकील पार्टी की एक पत्रिका वाद दायर की गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात / शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पार्टी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। शिकायत का सन्तुलन भी पार्टी के हक में सम्भावित प्रतीत है।

अतः अभियोजित को आगामी दिनांक 02/5/18 तक अन्तरिम जमानत किये जाने से पाबन्द किया जाता है कि वे आपराधिक धारा 436, 437, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 440, 441 वाके ग्राम मानका तहसील कुण्डावर जिला अलवर (राज०) के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। मौजा उक्त कोई ताकैसला दावा सम्बन्ध कर दिया जावे व कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना-अपना जवाब पेश करें। वास्ते तलबी अभियोजित वकील पार्टी जर्ये राजिनामा एवं टी० के नोटिस लगाने से अन्तरीम दिनांक 26/4/18 तक आवश्यक रूपये तलबी कराये अन्यथा उक्त आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। वाद तलबी दिनांक 02/5/18 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कुण्डावर (अलवर) राज०

02/5/18 आज यह पत्रावली न्याय आदेश हेतु नियत मानकर पेश हुई। पार्टी / पार्टी की तरफ आदेश के बाबत उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है। फैसला सुनाया गया। अन्दर के फैसले वकील तलब मूल दावा रहे। मजमून आज सुनाया गया।